# अपराध नियंत्रण में कम्यूनिटी पुलिस की भूमिका राजस्थान

## (विशेष संदर्भ बीकानेर जिला)

(**RAMESH KUMAR BHOJAK, RESEARCH SCHOLAR SOCIOLOGY, TANTIA UNIVERSITYSRIGANGANAGAR)**

**DR .TEJ KUMAR, RESEARCH SUPERVISOR, TANTIA UNIVERSITY, SRIGANGANAGAR**

**प्रस्तावना:-**

सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing) का मूल सिद्धान्त यह है कि एक पुलिसकर्मी क बाला नागरिक होता है और एक नागरिक बिना वर्दी वाला पुलिसकर्मी होता है।सामुदायिक पुलिसिंग का सार पुलिसकर्मियों और नागरिकों के बीच की दूरी को इस हद तक कम करना है कि पुलिसकर्मी उस समुदाय का एक एकीकृत पर्याय बन जाये जिसकी वे सेवा करते हैं। यह पुलिस और जनता के नाय विश्वास की कमी को कम करने में सहायता करती है क्यों कि इसके लिए पुलिस को अपराध की रोकथाम और अपराध का पता लगाने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा स्थानीय संघर्षो को हल करने हेतु समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। प्रभावी पुलिसिंग के लिए पुलिस जनसम्पर्क एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। कोविड 19 (Covid 19) महामारी से लड़ाई के समय पुलिस प्रथम पंक्ति में खड़ी थी. तब उसे जनता के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। पुलिस बलों को कानून व्यवस्था और अपराध केन्द्रित दृष्टिकोण से. सेवा उन्मुख, जन सहयोगी दृष्टिकोण की और स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है जिससे सामुदायिक पुलिसिंग सुविधा और पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को बल प्रदान की जा सके।

सामुदायिक पुलिसिंग के अन्तर्गत किसी भी स्वयंसेवक को पुलिस की मदद करने की अनुमति दी जानी चाहीए, लेकिन पुलिस की भूमिका निभाने की नहीं। पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक की तैनाती से पूर्व उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच की जानी चाहिए।

सामुदायिक पुलिस एक दर्शन है, कार्यक्रम नहीं। यदि सामुदायिक पुलिसिंग के दर्शन को इसमें शामिल सभी लोग नहीं समझते हैं तो कार्यक्रम सफल नहीं होंगे।

**संकेतक शब्द:-** सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस जन सहभागिता, महिला शक्ति, अपराध, कानून व्यवस्था

**अध्ययन की आवश्यकता:-**

सामुदायिक पुलिसिंग के लिए अपराध की और सम्पति के रख रखाव तथा स्थानीय संधयों के समाधान के लिए पुस्तिका काम करने की आवस्यकता होती है। जिसका उद्देश्य बेहतर जीवन स्तर और सुरक्षा की भावना प्रदान करना है। देश में ऐसे ही अन्य समुदायिक पुलिसिंग मॉडल जैसे राजस्थान में संयुक्त पेट्रोलिंग समितियों के माध्यम से तमिलनाडू में फारा पुलिस के माध्यम से पश्चिम बंगाल में कम्यूनिटी पुलिसिंग प्रोजेक्ट आधप्रदेश में मैत्री और महाराष्ट्र में नहला समितियों के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग की जाती है। गुवाहाटी में मणिपुरी बरती की महिला अपने क्षेत्र के युवाओं में नशीली दवाओं के दुरूपयोग और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आगे आई। जिनो मीरा पायसी (मशाल चाहक) के नाम से जाना जाता है। राजस्थान पुलिस की कम्यूनिटी पुलिसिंग शाखा के अन्तगत निम्न प्रकार की योजनाये व समूहों का निर्माण किया गया जो स्थानीय स्तर पर अपराध नियंत्रण के लिए उपयोगी है जैनरी सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी एल जी) महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पुलिस मित्र योजना, ग्राम रक्षक, स्वागत कक्ष स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना, पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम, सामुदायिक पुलिस यूनिट इत्यादि प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान राज्य की पुलिस में क्रियान्वित है।

**कम्यूनिटी पुलिसिंग के प्रकार:-**

**1. सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.):-**

• सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी) का गठन आम जनता के मन में पुलिस के प्रति अविश्वास एवं संवादहीनता को समाप्त करने के लिए किया गया है। वर्तमान में राज्य में जिला स्तर थाना स्तर, पंचायत स्तर, वार्ड स्तर एवं बीट स्तर पर कुल 92,917 सी.एल.जी. सदस्य कार्यरत हैं। सी.एल.जी में कुल 17.194 मीटिंग आयोजित की जा चुकी है।

• वर्ष 2023 में माह दिसम्बर तक 7,097 मीटिंग आयोजित की गई है।

• वर्ष 2024 में राजस्थान पुलिस नियम, 2008 के वर्ष दिसम्बर, 2023 तक नियम 12 में सी.एल.जी. के एक तिहाई सदस्यों का प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के अन्त में निवृत्त किये जाने के क्रम में समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर व जोधपुर को निर्देशित किया जा चुका है।

**1. ग्राम रक्षक:-**

राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 एवं राजस्थान पुलिस संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम व पुलिस के कार्यों में पुलिस का सहयोग करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर प्रत्येक थानान्तर्गत स्थित राजस्व ग्राम में शारीरिक एवं

मानसिक रूप से उपयुक्त अभ्यार्थी, जो स्थानीय ग्राम का निवासी हो, कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, जिसका नैतिक चरित्र उच्च स्तर का हो. एवं 40-55 वर्ष की आयु का हो, को ग्रामरक्षक के रूप में सूचीबद्ध किये गये हैं। पूर्व में सूचीबद्ध ग्राम रक्षकों का कार्यलय पूर्ण होने के कारण पुन वर्ष 2023 में राज्य में कुल 17.540 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किये गये हैं।

**2. पुलिस मित्र योजना:-**

राज्य में सामान्य असामान्य सभी प्रकार की परिस्थितियों में पुलिस बल के पूरक की भूमिका के रूप में कार्य करने एवं समाज में जनता व पुलिस के बीच सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा दिनांक 26.06.2019 से राज्य में पुलिस मित्र योजना प्रारम्भ की गई थी पुलिस मित्र योजनान्तर्गत कुल 38.566 पुलिस मित्र कार्यरत हैं।

- वर्ष 2023 में कुल 3,213 पुलिस मित्र बनाये गये हैं।

**3. पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम:-**

आम जनता में सकारात्मक संवाद स्थापित करने के लिए एवं आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा प्रवेश में दिनांक 27 मई, 2018 से नियमित पुलिस जनसहभागिता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। राज्य में दिनांक 28.05.2018 से प्रारम्भ से दिनांक 31.12.2023 तक 25,748 जनसहभागिता कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 8.62.136 लोगों की उपस्थिति रही है।

- वर्ष 2023 में 4,333 जनसहभागिता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

**4. महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र:-**

समस्त राजस्थान में महिलाओं / बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें आत्मरक्षा हेतू सशक्त बनाने, अपने अधिकारों व कानूनों के बारे में सजग करने एवं महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना का शुभारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत राज्य में कुल 11,86,154 महिला / बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2023 में कुल 1.28.421 महिला / बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

**5. स्वागत कक्ष:-**

राज्य सरकार द्वारा जन केंद्रित सुविधाओं के विकास की दिशा में राज्य के समस्त पुलिस थानों में स्वागत कक्ष संचालित करने का महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज० द्वारा वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में शामिल कर इसके क्रियान्वयन को गति प्रदान की है। इसके

अन्तर्गत राज्य में कुल 889 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जाने थे जिनमें से 846 (जिलों से प्राप्त पालना रिपोर्ट के अनुसार) पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जा चुके हैं. एवं 867 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष संचालित हैं।

6. **आदर्श पुलिस थाना:-**

राज्य में आमजन को सौहार्दपूर्ण सुविधाजनक तथा संतोषप्रद सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त जिलों के प्रत्येक वृत्त में एक-एक पुलिस थाने को आदर्श पुलिस थाने के रूप में विकसित कर राज्य में कुल 229 आदर्श पुलिस थानों को चयनित किया गया है।

7. **स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना:-**

• स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजनान्तर्गत विगत सत्र (वर्ष 2022-23) में चयनित 927 राजकीय व 77 केन्द्रीय विद्यालयों में कुल 43.686 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि 5.80.37,424 रूपये का व्यय करने हेतू प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजनान्तर्गत वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु 5.80.37.424 रूपये को वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप-2) विभाग राजच्यान, जयपुर द्वारा बजट-मद 2055-00-115 (09)-(1)-(29) एस.पी.सी. में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

• स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजनान्तर्गत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु स्वीकृत राशि को राज्य में एसपी सी योजनान्तर्गत चयनित राजकीय / केन्द्रीय विद्यालयों में भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार आवंटित कर आवंटित बजट राशि रूपये 5,80,37,424 रूपये के व्यय उपरान्त उपयोगिता-प्रमाण पत्र राज्य सरकार को प्रेषित कर इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर राजस्थान को निर्देशित किया जा चुका है।

8. **सी.पी.यू.:-**

राज्य में सामुदायिक पुलिसिंग योजनाओं यथा सीएलजी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम, स्टूडेन्टेडेट व महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा मुख्यालय व जिले के बीच में सूचनाओं के सही एवं त्वरित आदान-प्रदान हेतु प्रत्येक जिले में एक कम्यूनिटी पुलिसिंग यूनिट (सीपीयू) का गठन किया गया है।

• जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को नोडल अधिकारी एवं इनकी सहायतार्थ एक उप निरीक्षक / सहायक उप निरीक्षक, एक हैड कानि० व 2 कानि०गण नियुक्त किये गये हैं।

**सामुदायिक पुलिसिंग के उद्देश्य:-**

(1) सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य नागरिकों के सन्तोष के साथ साथ सेवा में गुणात्मक सुधार करना।

(2) सामुदायिक पुलिसिंग से अपराधों का मान चित्रण किया जाना संभव हो जाना है।

(3) सामुदायिक पुलिसिंग द्वारा विश्लेषण समस्या समाधान प्रक्रिया का हृदय है।

(4) सामुदायिक पुलिसिंग पुलिसकर्मियों और नागरिकों के मध्य दूरी को कम करना है।

**प्राकल्पना:-**

(१) पुलिस प्रशासन की नकारात्मक छवि के क्या कारण है?

(2) सामुदायिक पुलिसिन पुलिस एवं जनता दोनों के प्रति ज्या जवाबदेही सुनिि

(3) सामुदाविक पुलिसिंग अपराध नियंत्रण में किस प्रकार कारगर है।

(5) सामुदायिक पुलिसिंग से पुलिस जनता सम्बन्ना वीरी होगे।

(6) क्या पर्तमान में मुखबिर तंत्र और गुप्तचर व्यवथा की मजबूत करने की आवश्यकता है।

**शोध प्रविधि व स्रोत:-**

शोध कार्य के वैज्ञानिक होने के लिए वास्तविकता से परिपूर्ण, उसका मूल निरपेक व वस्तुनिष्ठ होना अनिवार्य है। समाज विज्ञान में शोध कार्य हेतु सत्य व प्रमाणिक सूचनाएं संकलित करने के लिए प्राथमिक व द्वित्तीय दोनों प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया गया है। प्राथमिक स्रोत के रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया है। प्रारम्भिक रूप में साक्षात्कार अवलोकन द्वारा स्थानीय थाना स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी का प्रयोग किया जायेगा। द्वितीयक स्रोत के रूप में पत्र पत्रिकाओं, शोध ग्रन्थों, आदि का प्रयोग किया जायेगा।

**साहित्य का पुनरावलोकन :-**

डॉ. धर्मेन्द्र भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक पुलिस प्रबन्धन जिसमें पुलिस के कार्य कर्तव्य तथा दायित्वों का वर्णन किया गया है जिसमें पुलिस व जनता के सम्बन्धों का विवेचन किया गया है।

पुलिस विज्ञान अर्द्धवार्षिक पत्रिका का अध्ययन किया गया जो कि पुलिस अनुसंधान ब्यूरो. गृहमंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है। पुलिस प्रशासन पर शोध अध्ययन का शुभारम्भ करने से पहले यह नितान्त आवश्यक है कि शोधार्थी पुलिस प्रशासन से संबधित तथा उनके द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए किये जाने वाले पुलिस के कार्यों का सर्वेक्षण करें। पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित व अप्रकाशित ग्रन्थों की मीमांसा प्रस्तुत करे ताकि उसके आधार पर भावी शोध का मार्ग अनवरत प्रशस्त हो सके।

पुलिस को वास्तव में विकासशील समाज का प्रतीक एवं उसका आधार भी माना जा सकता है। किसी भी विकासशील समाज की परिकल्पना के मुख्य आधार लोकतंत्रीकरण और आधुनिकतम पुलिस के प्रयत्नों से और अधिक मजबूत बनाये जा सकते है। यद्यपि विद्वान अध्येता का यह अध्ययन आज भी मील का पत्थर माना जाता है। यद्यपि इसमें भारतीय सामाजिक यथार्थ की समझ का अभाव रहा है परन्तु उसके लिए विदेशी लेखक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एक अन्य शोध अध्येता के रूप में त्रिलोकनाथ का नाम उदधृत होकर सामने आता है. जिन्होने प्रमुख दो यथार्थवादी शोधग्रन्ध प्रकाशित किये है। जहाँ लेखक ने प्रथम ग्रन्थ में पुलिस प्रशासन के विभिन्न कार्मिको जैसे कॉन्स्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, वृताधिकारी पुलिस अधीक्षक इत्यादि के कर्तव्यों का निरूपण किया है। जबकि उन्होने द्वितीय ग्रन्थ में चोरी, डकैती हत्या एवं आत्महत्या के प्रसंग में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डाला है। इस ग्रन्थ की मुख्य कमी यह है कि इसमें वर्णनात्मक व निबन्धात्मक शैली का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing) द्वारा अपराध नियंत्रण में या अपराधिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए किस प्रकार पुलिस जनता सम्बन्ध स्थापित किये जायेगें। सामुदायिक पुलिसिंग द्वारा पीडित लोगों को त्वरित न्याय व अनुसंधान में सहायता मिलती है।

एक सक्षम पुलिस अधिकारी के रूप में श्री शंकर सरोलिया भी उभर कर आया है। जिन्होनें पुलिस प्रशासन पर अनेक पुस्तकें लिखी है। उन्होने प्रथम ग्रथं में अपराध, पुलिस समुदाय सम्बन्धों तथा भ्रष्टाचार पर अपनी लेखन कला से दृष्टिगत किया है। राम आहुजा द्वारा लिखी गयी पुस्तक अपराधशास्त्र में अपराधियों की श्रेणियों व अपराध के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। डॉ. धमेन्द्र भटनागर जो कि सेवानिवृत IAS है। उनके द्वारा लिखी गयी पुस्तक पुलिस प्रबंधन में पुलिस के प्रशासनिक संगठन, कर्तव्य, कार्यप्रणाली, शक्तियां तथा पुलिस तथा जनता के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है। ब्रजमोहन द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय पुलिस में भारतीय पुलिस से सम्बन्धित समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। उपरोक्त पुस्तक समाज, राज्य सरकार तथा पुलिस के मध्य वर्तमान अन्तः क्रिया का विवेचन करती है तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों एवं

पारस्परिक निर्भरताओं का विश्लेषण किया गया है। मेरे द्वारा राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित लेखों का भी अध्ययन किया गया है जिसमें अपराधों, घटनाओं तथा नशा मुक्ति को रोकने के लिए बीकानेर पुलिस किस प्रकार कार्य कर रही है। दिनांक 25.12.2023 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर अपराध का आईना का भी अध्ययन किया गया है, जिसमें आत्महत्या को रोकने के लिए विशेष सेल का गठन, अभयकमाण्ड सेंटर द्वारा अपराध नियंत्रण में की जाने वाली कार्यवाही का अध्ययन और साथ ही बीकानेर शहर की ट्राफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बीकानेर पुलिस क्या काम कर रही है। बीकानेर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस पब्लिक पंचायत कार्यक्रम का नवाचार किया गया है. जिसमें विशेषकर गंभीर अपराधों,महिलाओं के प्रति अपराध व नशे के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। समय-पर होने वाले चुनावों में कानून व्यवस्था व शांति व्यव्स्था तथा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के अन्तर्गत ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, व सुरक्षा सखी भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। बीकानेर पुलिस द्वारा त्वरित न्याय के लिए ई- जन सुनवाई कार्यक्रम का भी नवाचार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा किया गया था। साहित्य पुनारावलोकन के लिए राजस्थान पुलिस वार्षिक प्रतिवेदन 2021-2024 तक का अध्ययन किया गया है। जिसमें पुलिस की शक्तियों, कार्यप्रणाली तथा पुलिस के संगठनात्मक व प्रकार्यात्मक संरचाना का अध्ययन किया गया है। वर्तमान समय में बीकानेर जिले से निकलने वाला एन.एच.-11 सडक दुर्घटनाओं का हॉटस्पाट बना हुआ है। जिसमें दुर्घटनाएं होने का मुख्य कारण नशा करके वाहन चालित करने का परिणाम है, इसके लिए बीकानेर जिला पुलिस द्वारा नशा प्रवृति को रोकने के लिए सावधान अभियान की शुरूआत की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत स्कूलों कॉलेजों में विद्यार्थियों को सकल्प दिलाना है। बीकानेर पुलिस ने वर्ष 2021 से 2024 तक बढ़ें-2 मादक तस्करों का पकड़ा है। दिनांक 07.07.2024 को बीकानेर - प्राइम में प्रकाशित सूचना के आधार पर नशे की प्रवृति में 18 से 20 वर्ष तक के युवाओं की संलिप्तता चिंतनीय है। 5-7 जनवरी 2024 को राजधानी जयपुर में आयोजित तीन दिवसीय डीजीपी सेमीनार में भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह ने भाग लिया था, सेमीनार मे मुख्य बात निकलकर सामने आयी कि वर्तमान में अब मुखबिर तंत्र व गुप्तचर व्यव्स्था को मजबूत करने के साथ-2 पुलिसिंग को धार की दरकार है। वर्तमान समय में कानून व्यवस्था व सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदनशील हाथों में हो इसके लिए सामूहिक प्रयास किये जाने चाहिए। पुलिस विज्ञान पत्रिका का भी अध्ययन किया गया है, जिसमें अनकों शोधार्थियों व वरिष्ठतम्

अधिकारियों के लेखों का अध्ययन किया गया है। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय की पुलिस प्रशासन पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी अध्ययन किया गया है। दिनांक 06.11.2024 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर एक पुलिस स्टेशन एक अपराधी योजना पर काम किया जायेगा। इस अभियान में जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक, बीट कॉन्सटेबल से लेकर एसपी तक की जिम्मेदारी होगी। इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक थाना स्तर के हार्डकोर, हिस्ट्रीशीटर व राउड़ीशीट टैग के अपराधियों को समय रहते सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जायेगा।

**अध्ययन का महत्वः-**

समुदाय पुलिस के अंतर्गत किसी भी स्वयं सेवा को पुलिस की मदद करने की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन पुलिस को भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए (CSDS) द्वारा सन 2019 में किए गए अध्ययन के अनुसार गरीब निम्न स्तर के लोग और महिलाएं पुलिस से भयभीत रहती है। इसके लिए सामुदायिक पुलिसिंग तथा पुलिस जनता का चुनाव जरूरी है सामुदायिक पुलिसिंग से अपराध नियंत्रण में सतर्कता लाई जा सकती है।

**मूल्यांकनः-**

सामुदायिक पुलिसिंग सुविधा से पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को बल प्रदान किया जा सकता है। है। इससे पुलिस व जनता दोनी की एक दुसरे के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होगी। सामुदायिक शहरी तथा ग्रामीण स्तर पर अपराध रोकने में कारगर है। पब्लिक पुलिस पंचायत भी अपराध नियंत्रण में उपयोगी है

**निष्कर्षः-**

पुलिस प्रशासन द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए कम्यूनिटी पुलिसिंग के तहत अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण कार्यप्रणालिया क्रियान्वित की गयी है। शोध में वर्णित कम्यूनिटी पुलिसिंग समय की मांग सम्बन्धी कार्यसूची व पर्याप्त नहीं है. इसके अतिरिक्त और अन्य कार्य व सुझाव भी हो सकते हैं। सामुदायिक पुलिसिन द्वारा ही पुलिस-जनता सम्बन्धों की अवधारणात्मक स्थिति का पता चलता है।

**संदर्भ सूची ग्रन्थः-**


1. www. Rajasthan.police.in
2. www. Bprd.com
3. सरोलिया शकर (1988) भारतीय पुलिस संदर्भ व परिपेक्ष्य, गौरव पब्लिशर्स, जयपुर
4. शर्मा ब्रजमोहन (1966) भारतीय पुलिस, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।

5. कटारिया सुरेन्द्र (2009) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
6. राजस्थान पुलिस प्रतिवेदन 2022
7. राजस्थान पुलिस प्रतिवेदन 2022
8. पुलिस विज्ञान, त्रैमासिक पत्रिका, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, नई दिल्ली।